प्रथम पत्रक

कार्यालय अंचल अधिकारी, जरीडीह

...ी 14 – फारम सं0 562 अभिलेख संख्या 25/24-25

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक – ता0 .... से .... तक

जिला – बोकारो

केस का प्रकार :– दोहरा जमाबंदी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
10.03.2025	आवदेक सरफराज अंसारी, पिता स्व0 मुस्तकिम अंसारी, ग्राम+पो0– अराजू, थाना–जरीडीह जिला–बोकारो द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि मौजा अराजू, थाना नं0 164, खाता सं0 27, प्लॉट सं0- 1297,1298,1700 कुल रकवा 1.00 ए0 भूमि उनके परदादा शेख गोन्दवा के नाम से खतियानी भूमि हैं, जिसका जमाबंदी पंजी II के पृ0सं0 200/1 में चल रहा हैं। उक्त भूमि का मनपुरण महथा के द्वारा गलत ढंग से खाता सं0 27, कुल रकवा 63 डी0 भूमि का ऑनलाईन जमाबंदी पृ0सं0 154/1 में कायम कर लगान रसीद निर्गत कराया गया हैं। उनके द्वारा अपने परदादा शेख गोन्दवा के नाम से उक्त भूमि का ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया हैं। अतः आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में विविध वाद (दोहरा जमाबंदी) के रूप में पंजीकृत करें। दोनों पक्षों को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना–अपना कागजात प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 24/03/2025 को रखें। 10/03/25 अंचल अधिकारी, जरीडीह	
24.03.2025	अभिलेख उपस्थापित। अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण न्यायालय कार्य बाधित। अभिलेख दिनांक:– 04/04/2025 को रखें। 24/03/25 अंचल अधिकारी, जरीडीह।	
04.04.2025	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 18/04/2025 को रखें। 04/04/25 अंचल अधिकारी, जरीडीह	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रव बारे में टि तारीख के
1	2	3
16.04.2025	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त। अभिलेख दिनांक 23/04/2025 को रखें। 16/04/25 अंचल अधिकारी, जरीडीह	
23.04.2025	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त। अभिलेख दिनांक 20/05/2025 को रखें। 23/04/25 अंचल अधिकारी, जरीडीह।	
20.05.2025	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त। जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा अराजू थाना नं0 164, खाता सं0 27, प्लॉट नं0 1297, रकवा 0.05 ए0, प्लॉट नं0 1298, रकवा 0.24 ए0 एवं प्लॉट नं0 1700, रकवा 0.81 ए0 भूमि रैयती खाते की हैं। गत सर्वे खतियान शेख गोन्दवा वल्द शेख अकलू कौम जोल्हा शाकीन देह के नाम से दर्ज हैं। राजस्व पंजी II के पृ0सं0 220/1 में शेख गोन्दवा पिता शेख अकलू के नाम से दर्ज हैं। वर्ष 2016–17 तक लगान रसीद निर्गत हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे से संबंधित खतियान एवं लगान रसीद की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया हैं, जो संलग्न हैं। द्वितीय पक्ष के तरफ से चेकु महथा पिता रासबिहारी महथा ने बताया कि मेरे परदादा मनपुरन महथा के नाम से खाता नं0 27, रकवा 0.63 ए0 भूमि का लगान रसीद निर्गत होते आ रहा हैं। राजस्व पंजी II के पृ0सं0 154/1 में मनपुरन महथा पिता गणेश महथा के नाम से जमाबंदी दर्ज हैं। इनके द्वारा अपने दावे से संबंधित लगान रसीद एवं पंजी II की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया हैं, जो संलग्न हैं। स्थलीय जांच के क्रम में पाया गया कि प्लॉट नं0 1297 में मस्जिद, प्लॉट नं0 1298 में आंशिक भाग में मकान एवं प्लॉट नं0 1700 में परती टांड के रूप में अवस्थित हैं। मामला दोहरा जमाबंदी से संबंधित हैं। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट) को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजा जा सकता हैं। अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि का दोहरा जमाबंदी पंजी II के पृ0सं0 220/1 में शेख गोन्दवा पिता शेख अकलू एवं पंजी II के पृ0सं0 154/1 में मनपुरन महथा पिता गणेश महथा के नाम से कायम हैं। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट) को भेजें। 20/05/2025 अंचल अधिकारी, जरीडीह। 20/05/25 अंचल अधिकारी, जरीडीह।	

Digitally signed by PRANAV RITURAJ
Date: 2025.06.11 14:08:58 +05:30
Location: 10.93.250.200